8-FE 001 e 105

# फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | 23/3/24 | |

| या संख्या / वर्ष | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही |
|---|---|

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:46:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, सांगानेर, जयपुर

वाद संख्या : 137/2019

1. गुलाब चन्द पुत्र स्व० कजोड़
2. धर्मसिंह पुत्र स्व० कजोड़
समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम शाहपुरा उर्फ साथपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. फूला देवा स्व० लालाराम
2. हनुमान पुत्र स्व० लालाराम
3. रामकिशोर पुत्र स्व० लालाराम
4. अशोक पुत्र स्व० लालाराम

समस्त जाति जाट निवासियान ग्राम शाहपुरा उर्फ साथपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

5. नाची पत्नि बोदूराम पुत्री स्व० लालाराम जाति जाट
6. मन्ना देवी पत्नि बाबूलाल पुत्री स्व० लालाराम जाति जाट निवासीयान 2 स्कॉन रोड, खेजड़ो का बास, गणेश नगर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. शान्ति देवी पत्नि कल्याण सहाय पुत्री स्व० लालाराम जाति जाट निवासी ग्राम धोलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. सुन्दरलाल पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुरा उर्फ साथपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

— कन्टेस्टेंट प्रतिवादीगण

10. कैलाश पुत्र स्व० रामकिशन
11. मु० कर्मा देवी स्व० रामलाल
12. अजय पुत्र स्व० रामलाल
13. विनोद पुत्र स्व० रामलाल
समस्त जाति जाट निवासियान ग्राम शाहपुरा उर्फ साथपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

— प्रारूपी प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आ[illegible] नियम 11

स्मी० पी० सी०

— लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:46:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

निर्णय

दिनांक: 23/09/2024

वादीगण ने वाद पत्र वावत घोषणा, दुकानी बन्द्राज, निषेधाज्ञा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वाके ग्राम साथपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि लाल खसरा नम्बरान् 220 रकबा 4.09 हैं०, 221 रकबा 4.01 हैं०, 232/830 रकबा 0.16 हैं० कुल किता-3 कुल रकबा 8.26 हैं० वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 व 10 लगायत 13 की पैतृक संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि वादग्रस्त के संबंध में प्रस्तुत किया गया है जिसमे प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 की ओर से उ।चना पत्र 07 R11 CPC पेश किया है जिसका सुस्म हवालन्त इस प्रकार है कि वादी द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि हाल खसरा नं. 220 रकबा 4.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 221 रकबा 4.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232/830 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किला 3 कुल रकबा 8.26 हैक्टेयर (पुराना खसरा नं. 136 रकबा 34 बीघा 4 विस्वा) वाके ग्राम साथपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 व 10 लगायत 13 के पूर्वज जगन्नाथ पुत्र हनुता की भूमि पैतृक अविभाजित है। वादीगण एवं प्रारूपी प्रतिवादीगण 10 लगायत 13 का 1/2 हिस्सा है, तथा भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा रवतौमी वन्दोबस्त (जमाबन्दी) ग्राम शाहपुरा तहसील सांगानेर सम्वत् 2015 से 2034 बनाते समय स्वर्गीय जगन्नाथ पुत्र हनुता के वैध उत्तराधिकारी पुत्र कल्याण व कानाराम के स्थान पर साबिक खसरा नम्बर 128/1 (पूर्व मे ख० न० 128) से बने नवीन खसरा नम्बर 136 रकबा 34 बीघा 4 विस्वा की खातेदारी लालाराम पि० मु० हेमा के नाम गलत अंकित कर दी, उक्त नाम का कोई व्यक्ति नही है एवं सही वल्दियत लालाराम पुत्र कानाराम है। यहा यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व० जगन्नाथ पुत्र हनुता की विवादित भूमि के अलावा अन्य खातेदारी भूमि थी, जिसका कुल रकबा 13 बीघा 18 विस्वा, है, जगन्नाथ के स्वर्गवास के पश्चात् नामान्तकरण उनके पुत्र कल्याण, काना एवं लाला उर्फ लाल्या पि० मु० हेमा के नाम से किया गया। जगन्नाथ के तीन पुत्र कल्याण, काना, हेमा नामान्तकरण के समय के पश्चात् है हेमा के फौत होने के कारण हेमा का नाम किया पुत्र [illegible] वारिस है। विवादित भूमि साबिक खसरा संख्या 128/1 (पूर्व ख० न० 128) [illegible] अंकित है उक्त नामान्तकरण पर काश्तकार पुत्र जगन्नाथ के हकदार इसके पश्चात् जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2017 ग्राम साथपुरा मे सम्पूर्ण भूमि कल्याण, काना पुत्र जगन्नाथ, लाला वल्द हनुता के नाम दर्ज हो गयी, जो गल्ती से लाला वल्द हेमा के स्थान पर लाला वल्द हनुता के नाम दर्ज हो गयी। सम्वत् 2015 से

— लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:46:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

2034 में भू-प्रबन्ध (सेटलमेंट) विभाग द्वारा चतौनी बन्दोबस्त ग्राम शाहपुरा तहसील सांगानेर जिसमे जगन्नाथ की कुल भूमि रकबा 93 बीघा 18 बिस्वा में से 34 बीघा 5 बिस्वा जिसका खसरा नम्बर 136 (पुराना खसरा संख्या 128/1) है, लाला पि॰ मु॰ हेमा के नाम से की गई एक अन्य खसरा कल्याण, काना पिता जगन्नाथ के नाम से दर्ज हो गये, सवत् 2015 से 2034 मे उक्त अनुसार नाम दर्ज होने के पश्चात् लाला पि॰ मु॰ हेमा एक कल्याण, काना पुत्र जगन्नाथ अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हो गये तथा अपने अपने हिस्से की भूमि का लगान भी जमा कराया गया तथा बसरा सिरदावरी मे दर्ज रिकार्ड है। आज दिनांक तक लाला पि॰ मु॰ हेमा के वारिस प्रतिवादी सं॰ 1 लगायत 4 विवादित भूमि पर काबिज काश्त है इसी प्रकार कल्याण, काना पुत्र जगन्नाथ के वारिस अन्य खसरा नम्बरान पर काबिज काश्त है। वादी द्वारा वाद केवल जगन्नाथ की एक भूमि साबिक खसरा संख्या 128 जिसका खसरा नं॰ 128/1 बना एक॰ नं॰ 136 रकबा 34 बीघा 5 बिस्वा बना, को वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक अविभाजित भूमि बताकर वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि लगभग 70 वर्ष पूर्व जगन्नाथ की सम्पूर्ण भूमि का बंटवारा कल्याण, काना पुत्र जगन्नाथ, लाला पि॰ मु॰ हेमा के समक्ष हो गया था एवं कल्याण व काना स्वयं व उनकी दो पीढ़िया अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रहे, फसल बोई तथा लगान अदा किया एवं कभी भी कोई वाद विवाद नहीं किया गया। वादी को विवादित भूमि की खातेदारी सम्वत् 2015 से 2034 की जानकारी गलत अंकित किये जाने की पूर्व मे नही थी एक सर्वप्रथम दिनांक 15/9/2019 को प्रतिवादी सं॰ 1 लगायत 4 काश्तात भूमि पर आये व वादी को धमकी दी कि विवादित भूमि उनके पिता लाला की तन्हा खातेदारी है उक्त वक्तव्य गलत अंकित वादी ने वाद पत्र मे किये है जबकि वादी के पूर्वज कल्याण का स्वर्गवास दिनांक 3/5/1993 को हो गया था, जिसके पश्चात् कल्याण के हिस्से मे आयी भूमि बावत कल्याण के वारिसो द्वारा नामान्तकण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर जाँच का भूमि का नामान्तकण कल्याण के पुत्र रामकिशन के नाम दिनांक 11/5/1993 को बोला गया। रामकिशन पुत्र कल्याण द्वारा विवादित भूमि का उपयोग व उपभोग किया गया एवं कोई वाद विवाद नहीं किया गया। रामकिशन की मृत्यु सन् 2016 मे हो गई एवं वर्तमान रामकिशन के वारिसो जिसमे वादी गुलाब चंद, धर्म सिंह पुत्र कजोडमल भी शामिल है, उक्त द्वारा नामान्तकण का प्रार्थना पत्र विरासत एवं हक त्याग पत्र के अनुसार

—लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:46:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तहसीलदार सांगानेर के दिनांक 15/03/2010 को नामान्तकरण खोला गया। प्रार्थी द्वारा हक त्याग पत्र दिनांक 04/03/2009, 4/3/2009, 22/2/2009 एवं 15/3/2010 की प्रमाणित प्रति फिर प्राप्त की गई जिससे प्रार्थी यह पूर्णतया साबित होता है कि वादीगण गुमानचंद व धर्म सिंह को समस्त राजस्व रिकार्ड की जानकारी हक त्याग पत्र के निष्पादन के समय से थी, हक त्याग पत्रों में स्पष्ट रूप से खातेदार राम किशन पुत्र कल्याण का हिस्सा राजस्व रिकार्ड के अनुसार अंकित है। वादी ने दिनांक 4/3/2009, 4/3/2009, 04/3/2009, 22/2/2009 एवं 15/3/2010 से जगन्नाथ व कल्याण की समस्त भूमि की जानकारी है चूंकि वादीगण एवं उनके परिवारजन द्वारा पंजीकृत हक त्यागपत्र निष्पादित किये गये एवं नामान्तकरण हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार सांगानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया इसलिए यह वाद देरी से प्रस्तुत किये जाने के कारण व वादी की तीन पीढ़ियां कल्याण पुत्र जगन्नाथ, राम किशन पुत्र कल्याण, एवं रामकिशन के पुत्रकलोड, रामलाल एवं कैलाश द्वारा जगन्नाथ से प्राप्त विरासत में अपने-अपने में आई भूमि पर कभी भी वाद विवाद नहीं किया गया एवं उक्त विरासत से आई भूमि का उपयोग व उपभोग किया गया तथा लाला कि मु. हेमा के हिस्से में विरासत से आयी विवादित भूमि का कभी भी विरोध नहीं किया एवं सभी खातेदारों द्वारा लगभग 70 वर्षों तक अपने-अपने हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग किया गया है। उक्त का वादी को सन् 2010 से ज्ञान है जब वादी ने विरासत एवं हक त्याग के आधार पर नामान्तकरण का प्रा० पत्र तहसील में प्रस्तुत किया एवं वादी के नाम नामान्तकरण खोला गया। यह वाद विधि द्वारा दर्शित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 ला०4 के द्वारा पेश प्रा०पत्र O7R11CPC का अप्रार्थी/वादीगण ने जवाब पेश किया जिसका सूक्ष्म हवाला इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र में किये तथ्य गलत हैं। जगन्नाथ पुत्र हनुता के पास प्रतिवादी द्वारा अंकित भूमि से भी अधिक भूमि थी चूंकि इस वाद में जो भूमि विवादित है उसे ही वर्णित किया गया है भूमि का विवाद इस वाद में निर्णित नहीं हो सकता है मुख्य प्रश्न है जगन्नाथ का प्रश्न है, जगन्नाथ के हेमा नामक कोई पुत्र हुआ ही नहीं। वह काना पुत्र जगन्नाथ का पुत्र है। नामान्तकरण पर हेमा को

— लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:46:33 IST
Reason: SelfAttested

जगन्नाथ का पुत्र बताकर जगन्नाथ की भूमि में से अधिक जमीन लेने की मिसल से स्वयं ने नामान्तकरण तस्दीक किया। इस समय नामान्तकरण तस्दीक के साथ कानाराम संरपंच वाले प्रार्थना पत्र के COS-2 के प्रथम पेरा में वर्णित तथ्य वादीगण द्वारा तोड़ मे सही किये हैं जो वादीगण साक्ष्य से प्रमाणित भी करेंगे। वादीगण अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करने हेतु घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त भूमि निहित वादीगण के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं, अपने अधिकारों के लिये ही वादीगण द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में घोषणा व विभाजन हेतु कोई कालावधि निर्धारित नहीं है इस लिए वाद इस आधार पर विधि द्वारा वर्जित नहीं है और ना ही वाद इस आधार पर 07R11CPC के तहत खारिज किया जा सकता है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी । का०५ का प्रार्थना पत्र 07R11 CPC खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षों की प्रार्थना पत्र 07R11 CPC पर बहस सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र 07R11CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 07R11CPC स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थी/वादीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र 07R11CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 07R11CPC को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

पत्रावली व राजस्व रिकार्ड, प्रार्थना पत्र 07R11CPC व जवाब प्रार्थना पत्र 07R11CPC का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षों की बहस का मनन करने पर हमारा निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज स्वर्गीय जगन्नाथ पुत्र हनुता की भूमि के अलावा अन्य खातेदारी भूमि भी थी जिसका कुल रकबा 93 बीघा 12 बिस्वा थी जगन्नाथ के स्वर्गवास के पश्चात् विरासत नामान्तकरण वर्ष 1956 में कल्याण, काना एवं लाला उर्फ लाल्या पि॰पु॰ हेमा के नाम दर्ज हुआ। वादग्रस्त आराजी व अन्य आराजी लगभग 70 वर्ष पूर्व जगन्नाथ की सम्पूर्ण भूमि का बंटवारा कल्याण, काना पुत्र जगन्नाथ, लाला पि॰पु॰ हेमा के समक्ष हो गया था। तत्पश्चात् अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी के [illegible] स्वर्गवास दिनांक 3/4/93 के पश्चात् के पारित रामकिशन [illegible] दिनांक 11/5/93 को नामान्तकरण [illegible] तथा [illegible] 2010 में होने पर रामकिशन के वारिसान [illegible], धर्मसिंह व बगड़ो के नाम नामान्तकरण विरासत [illegible] एकत्याग के नामान्तकरण दिनांक 15/3/10 को स्वीकार हुआ। इस प्रकार वादी की तीन पीढ़ियां कल्याण पुत्र जगन्नाथ, रामकिशन पुत्र

— जारी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:46:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

कल्याण एंव रामकिशन के पुत्र कजोड, रामलाल एंव केसरा द्वारा जगन्नाथ से प्राप्त विरासत मे अपने-अपने हिस्से मे आई भूमी पर कभी भी वाद विवाद नही किया गया एक लाला कि॰ मु॰ हेमा के हिस्से मे विरासत से आयी विकसित भूमि का कभी भी विरोध नही किया एंव सभी लातेदारो द्वारा लगभग 70 वर्षो से अपने-अपने हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है।

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे वादीगण की तीन पीढियो ने कोई विवाद नही किया गया। चौथी पीढी मे विवाद किया। वादग्रस्त आराजी पर 70 वर्षो तक जमीन का उपयोग व उपभोग किया तथा फसल बोई गई। अतः वादीगण का वाद हारा वर्जित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 07R11 CPC स्वीकार किया जाकर वादीगणका वाद वाके ग्राम सायपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल खसरा नम्बर 220 रकबा 4.09 है०, 221 रकबा 4.01 है०, 232/830 रकबा 0.16 है० कुल किता 3 रकबा 2.26 है० विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री दफ्तर से तैयार कर पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 23/9/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:46:33 IST
Reason: SelfAttested